

D. no = $\frac{317}{16/5/17}$

1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 12 / 2017

~~चतरा मीणा फि~~ बनाम ~~कल्याण कुर्जा जि. नामाजुम~~
~~गोभुल मीणा~~ नि. किशोरपुरा
नि. जालमकी कुपडिया

प्रार्थनापत्र—अन्तर्गत धारा 111—128 रा0ले0रे0ए0

— आदेश :-

दिनांक—15/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री ~~चतरा मीणा~~ ने जरिये अभिलेखक श्री ~~शोभाधकाश पालीवाल~~ ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल, गैरखाले खाते की भूमि ग्राम ~~धनवाडा~~ प0ह0 ~~मालकाखेडा~~ तह0 माण्डलगढ में आकार नं0 ~~535, 1294/546, 1295/546~~

किता 3 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन विवाद विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते हैं। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जाये साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अभिलेखक प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् के अवलोकन से प्रार्थी ~~अराजीयात~~ आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसीयान के विवाद कर ~~शपथपत्र~~ शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा0ले0रे0ए0 स्वीकार किया गया ~~ग्राम धनवाडा~~ की आराजी नं0—~~535, 1294/546, 1295/546~~

रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 450 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 /रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

